

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1286]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938

No. 1286]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/JYAISTHA 4, 1938

खान मंत्रालय

॥भारतीय खान ब्यूरो॥

आदेश

नागपुर, 18 मई, 2016

का.आ. 1871(अ)..—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम] 1957 (1957 का 67) (27 मार्च 2015 तक संशोधित) की धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुच्छेद (ख) के अनुसरण में तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 16(2) में निर्मित प्रावधान के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर रुपए 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) अथवा उसके भाग के अप्रतिदेय फीस सहित खनन योजना दस्तावेज भारतीय खान ब्यूरो को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यह आदेश भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

[फा. सं.-टी- 43004/सीजीबीएम/एमएम(डीआर)/2015]

आर.के. सिन्हा, महानियंत्रक

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

ORDER

Nagpur, the 18th May, 2016

S.O. 1871(E).—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (As Amended up to 27th March 2015) and in accordance to the provision made in the Rule 16(2) of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 Mining Plan document accompanied by a non-refundable fee of Rs. 25000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) per Sq. Km. or part thereof shall be submitted to the Indian Bureau of Mines for approval.

This order shall come into force with immediate effect from the date of notification in the official gazette of India.

[F. No. T-43004/CGBM/MM(DR)/2015]

R. K. SINHA, Controller General

आदेश

नागपुर, 18 मई, 2016

का आ. 1872(अ).—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का 67) (27 मार्च 2015 तक संशोधित) की धारा 5 की उप धारा (2) के अनुच्छेद (ख) के अनुसरण में तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 13(1)(क) के तहत महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं एतद्वारा, खनन योजनाओं के अनुमोदन हेतु खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 16 एवं नियम 17 के तहत विनिर्दिष्ट शक्ति का उपयोग करने के लिए (1) क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं (2) उप-खान नियंत्रक, प्रभारी, भारतीय खान ब्यूरो के खनिज विकास एवं विनियमन प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय, को प्राधिकृत करता हूँ।

यह आदेश भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

[फा. सं. – टी- 43004/सीजीबीएम/एमएम(डीआर)/2015]

आर.के. सिन्हा, महानियंत्रक

ORDER

Nagpur, the 18th May, 2016

S.O. 1872(E).—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 (67 of 1957) (As Amended up to 27th March 2015) and by virtue of powers vested in the Controller General, IBM under Rule 13(1)(a) of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, I hereby authorize the (1) Regional Controller of Mines & (2) Deputy Controller of Mines, incharge of the Regional offices / Sub-Regional offices of Mineral Development and Regulation Division of Indian Bureau of Mines; to exercise the power specified under Rule 16 and Rule 17 of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, for approval of Mining Plans.

This order shall come into force with immediate effect from the date of notification in the official gazette of India.

[F. No. T-43004/CGBM/MM(DR)/2015]

R.K.SINHA, Controller General